

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.1(1)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 26.5.21

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 2, पाली	पाली	पाली
2.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द
3.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 3, अलवर	अलवर	अलवर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

साथ ही विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, पाली का नाम परिवर्तित करते हुए विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 1, पाली किया जाता है।


राज्यपाल के आदेश से,  
26.5.2021  
(विनोद कुमार भारवानी)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, पाली/ राजसमन्द/ अलवर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।

13. रक्षित पत्रावली।

  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव